

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर																											
3(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और बलिया में कितने लाइसेंसी बीयर बार चल रहे हैं, उनसे कितने राजस्व की प्राप्ति हो रही है?	जी हाँ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2022 के अन्तर्गत बियर बार अनुज्ञापन के आवंटन की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, किन्तु अन्य बार अनुज्ञापनों की व्यवस्था संचालित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:- <table><tr><th>जनपद का नाम</th><th>संचालित बारों की संख्या</th><th>प्राप्त राजस्व (रूपये में)</th></tr><tr><td>वाराणसी</td><td>51</td><td>16,96,43,496/-</td></tr><tr><td>चंदौली</td><td>03</td><td>21,19,493/-</td></tr><tr><td>गाजीपुर</td><td>02</td><td>10,00,000/-</td></tr><tr><td>जौनपुर</td><td>01</td><td>21,00,000/-</td></tr><tr><td>मिर्जापुर</td><td>05</td><td>1,90,02,343/-</td></tr><tr><td>सोनभद्र</td><td>शून्य</td><td>-</td></tr><tr><td>भदोही</td><td>शून्य</td><td>-</td></tr><tr><td>बलिया</td><td>02</td><td>1,34,08,680/-</td></tr></table>	जनपद का नाम	संचालित बारों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रूपये में)	वाराणसी	51	16,96,43,496/-	चंदौली	03	21,19,493/-	गाजीपुर	02	10,00,000/-	जौनपुर	01	21,00,000/-	मिर्जापुर	05	1,90,02,343/-	सोनभद्र	शून्य	-	भदोही	शून्य	-	बलिया	02	1,34,08,680/-
जनपद का नाम	संचालित बारों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रूपये में)																										
वाराणसी	51	16,96,43,496/-																										
चंदौली	03	21,19,493/-																										
गाजीपुर	02	10,00,000/-																										
जौनपुर	01	21,00,000/-																										
मिर्जापुर	05	1,90,02,343/-																										
सोनभद्र	शून्य	-																										
भदोही	शून्य	-																										
बलिया	02	1,34,08,680/-																										
(ख) क्या उपरोक्त का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।																											
(ग) यदि नहीं तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।																											

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग